न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 105/2011

1 सिरे कंवर पत्नी बिहारीदान जाति चारण निवासी चारण का बास तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 इन्द्र कंवर कथित पुत्री बिहारीदान पत्नी सुमेरसिंह जाति चारण निवासी चारण का बास तहसील व जिला सीकर।
2 जीबू कंवर कथित पुत्री बिहारीदान पत्नी महेन्द्र सिंह जाति चारण निवासी चारण का बास तहसील व जिला सीकर हाल निवासी कुतुबपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 संतोष कंवर कथित पुत्री बिहारीदान पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति चारण निवासी चारण का बास तहसील व जिला सीकर हाल निवासी मौखमपुरा तहसील मकराना जिला नागौर।
4 बीरू कंवर कथित पुत्री बिहारीदान पत्नी रमेश कसंह जाति चारण निवासी चारण का बास तहसील व जिला सीकर हाल निवासी मंडपी तहसील सांभर जिला जयपुर।
5 तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।
6 उप पंजियक सीकर तहसील व जिला सीकर।
7 पटवारी हल्का चैनपुरा तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सीकर दिनांकित 13.07.2011 प्रकरण
शीर्षकीय इन्द्र कंवर आदि बनाम सिरे कंवर आदि
वाद संख्या 85/2010

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सजन सिंह कविया, अधिवक्ता अपीलांट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... सीकर

—निर्णय—

दिनांकः– 02/11/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 85/2010 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने वाके ग्राम चारण का बास तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 587, 588, 501 के संदर्भ में उद्घोषणा रिकार्ड संसोधन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचारण निर्णय व डिकी से वाद वादी डिकी किया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। दिनांक 18.10.2023 को अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामें की पुश्त एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित की पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा उपस्थित पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जिसे उन्होंने सही होना स्वीकार किया। इस पर इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर संसोधित निर्णय व डिकी पारित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। दिनांक 18.10.2023 को अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामें की पुश्त एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित की पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा उपस्थित पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जिसे उन्होंने सही होना स्वीकार किया। इस पर इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया। लोक अदालत की भावना से पक्षकारों द्वारा क्रिये गये राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए मुताबिक राजीनामा संसोधित निर्णय व डिकी पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी दिनांक 13.07.2011 में संसोधन किया जाकर वाके ग्राम चारण का बास की भूमि खसरा नम्बर 587 रकबा 2.56 हैक्टर, 588 रकबा 2.31 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.87 हैक्टर में से 2.6410 हैक्टर का एवं खसरा नम्बर 501 रकबा 1.51 हैक्टर में 1/2 हिस्सा भूमि में से 0.25 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को उद्घोषित किया जाता है। शेष भूमि की खातेदारी अपीलांट के नाम यथावत रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 02/11/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते